राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

महेश बनाम भगवानसहाय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
524/2023 525/2023		
13/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 524/2023 एवं 525/2023 में समान पक्षकार एवं समान विवादग्रस्त भूमि होने से इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | अत: पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/04/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/04/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं तरतीबी रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वितीय के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा संख्या 85/2015 एवं प्रार्थना पर अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 79/2015 अंकित किये गये एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 79/2015 में आदेश दिनांक 28/09/2015 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/क्षे.अ./2019/352 दिनांक 08/03/2019 की पालना में पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण, जयपुर के समक्ष स्थानान्तरित कर दिया गया | जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण द्वारा पत्रावलीयां दर्ज रजिस्टर्ड कर वाद संख्या 05/2020 भगवानी जगदीश बनाम भगवान सहाय एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 03/2020 अकित किये गये | जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आदेश दिनांक 29/11/2022 पारित करते हुये अदम पैरवी अदम हाजरी में ख़ारिज फरमा दिया गया | जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022 एवं प्रार्थना पत्र 43/2022 प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/06/2023 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सीपीसी ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर वाद संख्या 05/2020 में प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 43/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/06/2023 के विरुद्ध अपील संख्या 525/2023 एवं वाद संख्या 03/2020 में प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/06/2023 के विरुद्ध अपील संख्या 524/2023 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी | चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	महेश बनाम भगवानसहाय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
524/2023 525/2023		

पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीयो का मय अपीलाधीन निर्णयों का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के अदम पैरवी व अदम हाजरी में ख़ारिज हो जाने के उपरान्त कानूनन निर्धारित समयावधि में प्रश्नाधीन प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिन्हें सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से ख़ारिज कर दिया गया, जबकी विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को नरम रुख अपनाना चाहिए | ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है एवं चूँकि मूल प्रकरण घोषणा का है एवं घोषणा के बिन्दु को साक्ष्य-सबूत के आधार पर ही तय किया जा सकता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयो को निरस्त कर प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार करते हुये मूल वाद को अग्रिम कार्यवाही हेतु रेस्टोर किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/06/2023 निरस्त किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या 42/2022 व 43/2022 स्वीकार किये जाकर वाद संख्या 05/2020 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 03/2020 को पुन: नम्बर पर लिया जाकर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार अपील संख्या 524/2023 एवं 525/2023 स्वीकार की जाती है | उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18/05/2026 को उपस्थित होकर मूल प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही में भाग लेवे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर